# प्रेस नोट जनपद बागपत

**थाना कोतवाली बागपत        दिनाँक 04.08.2026**

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 420/26 धारा 191(2)/191(3)/281/118(2)/109(1)/115(2)/3(5) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को मा0 न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर उसकी निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा.315 बोर बरामद।**

**संक्षिप्त विवरण-**

दिनांक 30-06-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी विनोद कुमार पुत्र स्व0 धनपाल निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1. विकास उर्फ विक्की पुत्र नवाब, 2.बिजन उर्फ बिजेन्द्र पुत्र कृष्णपाल, 3.रमन पुत्र ऋषिपाल, 4.सजन पुत्र कृष्णपाल, 5. नवाब पुत्र रगबर, 6.राजेन्द्र पुत्र ऋषिपाल निवासीगण ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत, 7. जितेन्द्र उर्फ जित्तू पुत्र नौराज निवासी गायत्रीपुरम् कस्बा बागपत, 8. शेरसिंह उर्फ कपिल पुत्र सुरेन्द्र निवासी कस्बा बागपत, 9.दीपक चौहान उर्फ कल्लू पुत्र जगबीर निवासी पक्का घाट कस्बा बागपत, 10.सुगम सांगवान पुत्र नामालूम निवासी ग्राम सांकलपुट्ठी जनपद बागपत व 2-3 अज्ञात बदमाश द्वारा भट्टे की मिट्टी से भरे हाईवा से उसकी ब्रेजा कार में टक्कर मार दी, शिकायत करने पर अभियुक्तों द्वारा अपने चेहरे पर

कपड़ा बांध कर अपने हाथो में लिये हथियारों पिस्टल, रिवाल्वर से उसके व उसके लडकों पर जान से मारने की नीयत से अन्धा धुंध फायरिंग की गयी, जिसमें उसका लडका जतिन गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा अभियुक्तों द्वारा हाथों में लिये हॉकी व डण्डों से अभिषेक के साथ भी मारपीट की, जिसमें अभिषेक गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा उसका दांत भी टूट गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही-**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 420/26 धारा 281/191(2)/191(3)/118(2)/109(1)/115(2)/3(5) बीएनएस से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय से पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लेकर अभियुक्त की निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोट-** उक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य के आधार पर धारा 115(2)/3(5) बीएनएस व बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम की वृद्धि की गयी है।

**पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड में लिये गये अभियुक्त का नाम व पता-**

सजन पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत बागपत जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरणः-**

- घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर।

**अभिरक्षा रिमांड पर लेकर बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-**

1-उ0नि0 श्री उत्कर्ष गुप्ता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 816 शोकेन्द्र थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-है0का0 415 रविन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 04.08.2026

**थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 389/26 धारा 137(2)/64(2)m/351(2) बीएनएस एवं 5(J)(2) व 16/17 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 389/26 धारा 137(2)/64(2)m/351(2) बीएनएस एवं 5(J)(2) व 16/17 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-**

दानिश पुत्र मोमीन निवासी उमरपुर थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1-व0उ0नि0 श्री रजनीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
2-का0 607 कपिल कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
3-रि0का0 592 रोहित कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट

थाना चांदीनगर                    दिनाँक 04.08.2026

**थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल मय एक जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।**

**कार्यवाही-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध पिस्टल मय एक जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद हुआ है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**महत्वपूर्ण सूचना-** बागपत पुलिस द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे तथा अवैध अथवा लाइसेंसी असलहों का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन न करे। यदि इस प्रकार का कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

सुमित पुत्र ओमकार निवासी ग्राम खैला थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

**बरामदगी का विवरण-**

- एक अवैध पिस्टल मय एक जिन्दा कारतूस .32 बोर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

**1-उ0नि0 श्री अमर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।**

**2-उ0नि0 राहत जान थाना चांदीनगर जनपद बागपत।**

**3-है0का0 349 नरेन्द्र थाना चांदीनगर जनपद बागपत।**

**4-है0का0 09 दानवीर सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत।**